


## नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 3/10/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा एसईजेड की अध्यक्षता में दिनांक 03/10/2023 को दोपहर 02:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)
  2. श्री एस के राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
  3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
  4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
  5. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
  6. श्रीमती सुमित गोवर, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप. विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (ii) अमित गुसा, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (v) पी.पी. सिंह, एईई, यूपीपीसीबी और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नौएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल विषयों पर एक-एक करके विचार-विमर्श किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-
- D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:
- (1) दिनांक 19/09/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

सुरेंद्र मलिक 

19/09/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 19/09/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**(2) एमईसी ग्लोबल - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।**

2.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनपत ओसवाल और श्री के पांडे अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री ओसवाल ने बताया कि उन्होंने 03/04/2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति के निर्देशानुसार प्राप्ति / बकाया निर्यात आय का विवरण प्रस्तुत किया है।

2.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि संबंधित वर्ष के लिए निर्यात, प्राप्त राशि, वर्तमान बकाया राशि और बट्टे खाते में डाली गई विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

आईएनआर में मान					
वर्ष	वर्ष के दौरान किया गया निर्यात (ए)	तिथि के अनुसार प्राप्ति (संबंधित वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के विरुद्ध) (बी)	आज की तारीख में अप्राप्त निर्यात आय (सी=ए-बी)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (डी)*	राइट-ऑफ राशि काटने के बाद आज तक अप्राप्त राशि (सी-डी)
2011-12	3,88,63,777.00	3,81,35,913.00	7,27,864.00	7,27,864.00	-
2012-13	14,41,33,458.00	14,22,86,481.00	18,46,977.00	18,46,977.00	-
2013-14	8,39,01,377.04	80,4,46,632.40	34,54,745.00	34,14,231.00	40,514.00
2014-15	7,76,93,720.50	7,34,18,482.94	42,75,237.56	42,75,237.56	-
2015-16	6,69,97,281.50	5,39,63,022.70	1,30,34,258.80	50,72,441.54	7,96,18,171.26
2016-17	27,22,955.56	24,17,822.56	3,05,133.00	-	3,05,133.00
2017-18	5,34,34,659.76	5,27,15,708.75	7,18,951.00	7,18,951.00	-
2018-19	4,37,45,707.00	4,37,45,707.00	-	-	-
2019-20	5,02,50,768.00	5,02,50,768.00	-	-	-
2020-21	3,56,77,255.00	3,56,87,255.00	-	-	-
2021-22	1,13,08,490.00	1,13,08,490.00	-	-	-
2022-23	2,70,49,345.00	2,70,49,345.00	-	-	-
	63,57,78,794.71	61,14,15,628.35	2,43,63,166.36	1,60,55,702.10*	83,07,464.26

- \*इकाई ने बताया है कि 2018-19 में 43,06,419.00/- रुपये का अशोध्य ऋण और 2019-20 में 1,17,49,283.10/- रुपये का बकाया स्व-बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

सुरेंद्र मलिक

I/51591/2023

2.3 अनुमोदन समिति ने आगे निम्नानुसार अवलोकन किया:-

(i) आरबीआई परिपत्र संख्या 88 दिनांक 12/03/2013 के अनुसार, एक निर्यातक (स्थिति धारक निर्यातक केलावा) स्वयं "राइट-ऑफ़" 5%, स्टेटस होल्डर निर्यातक द्वारा स्वयं-राइट-ऑफ़ - 10% और अधिकृत डीलर बैंक द्वारा राइट-ऑफ़ - पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निर्यात आय का 10%।

(ii) वर्तमान मामले में, इकाई ने 10/11/2011 से अपनी निर्यात गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। इकाई ने वित्त वर्ष 2011-12 से संबंधित 7,27,864.00/- रुपये की निर्यात आय को बट्टे खाते में डाल दिया था, जो निर्यात का पहला वर्ष था।

(iii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा इकाई को जारी दिनांक 28/07/2022 के पत्र के अनुसार, एडी बैंक ने दस्तावेजों को संभालने में असमर्थता दिखाई है क्योंकि वे आईआरएएन से संबंधित हैं।

(iv) आज की तारीख में 8307464.26/- रुपये की निर्यात आय अभी भी प्राप्ति के लिए बकाया थी (प्राप्ति गई राशि और बट्टे खाते में डाली गई राशि को हटाने के बाद)।

(iv) यद्यपि निर्धारित सीमा से अधिक निर्यात आय को बट्टे खाते में डालने की अनुमति नहीं है, इकाई ने ऐसा ही किया है।

(v) इकाई ने पिछले ब्लॉकों के दौरान अप्राप्त/बट्टे खाते में डाले गए निर्यात आय को नजरअंदाज करने के बाद भी सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय हासिल की है।

(vi) नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इकाई ने शुरुआत से ही निर्यात खेपों पर कोई प्रोत्साहन नहीं लिया है।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 31/03/2024 तक की अवधि के लिए स्वीकृति पत्र की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने निर्यात आय की बट्टे खाते में डालने की राशि और अप्राप्त राशि के सटीक विवरण की जांच करने और निर्यात के स्व-बट्टे खाते में डालने के मामले में आगे की कार्रवाई के साथ आरबीआई और उनके अधिकृत डीलर से अनुमेय सीमा से अधिक अप्राप्त राशि की स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को आदेशों की प्रति के साथ भविष्य की व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आरबीआई और अधिकृत डीलर से स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद मामले को विचार के लिए उसके समक्ष रखने का निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक



(3) रॉयल एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से की गई खरीद से संबंधित मामला।

3.1 इकाई के भागीदार श्री मनोज सोनी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री सोनी ने बताया कि उनके पास अच्छे निर्यात ऑर्डर हैं और उन्होंने अपने स्वीकृति पत्र को नवीनीकृत करने का अनुरोध किया ताकि वे अपनी निर्यात गतिविधियों को जारी रख सकें।

3.2 यह बताया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) कस्टम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स ने जुलाई 2016 में मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से 12.15 करोड़ रुपये की राशि का सोना/चांदी/प्लैटिनम/हीरे खरीदे थे, जबकि मेसर्स का स्वीकृति पत्र जीडीपीएल 2012 में समाप्त हो गया था और बाद में 28.09.2015 को रद्द कर दिया गया था और 2016 से 2022 तक रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा जीडीपीएल को किया गया कुल भुगतान केवल 1.81 करोड़ रुपये रहा है। चार (4) चालान जिनके माध्यम से माल कथित तौर पर मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को हस्तांतरित किया गया है:

क्रमांक	चालान	वस्तु का विवरण	राशि (INR)
1	जीडीपीएल/2016/001 दिनांक 21.07.2016	प्लैटिनम (शुद्धता 94%) और प्लैटिनम हेड और क्लिप्स (शुद्धता 94%)	4959350/-
2	जीडीपीएल/2016/002 दिनांक 21.07.2016	सोना (24K), ग्लोड हेड्स 14K, सोना क्लिप्स 14K, हीरे, चांदी, मिश्रित मिश्र धातु, गोल्ड माउंटिंग 10 किग्रा	कुल 12,15,53,644/- (9418.92 कैरेट हीरे सहित 11,92,34,108/-)
3	जीडीपीएल/2016/003 दिनांक 25.07.2016	प्लैटिनम	1800000/-
4	जीडीपीएल/2016/004 दिनांक 26.07.2016	प्लैटिनम	1800000/-
	<b>कुल</b>		<b>130112994/-</b>

3.3 यह भी सूचित किया गया कि उपरोक्त लेनदेन मेसर्स जीडीपीएल द्वारा अनुमोदन समिति द्वारा अपने स्वीकृति पत्र की समाप्ति/रद्दीकरण और बीओए द्वारा अनुमोदन समिति निर्णय को बरकरार रखे जाने के बाद किया गया था। इसके अलावा, मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स ने जुलाई 2016 में मेसर्स जीडीपीएल, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से प्लैटिनम, चांदी, हीरे सहित अन्य सामान खरीदे थे, जबकि "चांदी /प्लैटिनम" के निर्माण के कारण प्लैटिनम/चांदी सादे और हीरे तथा रंगीन पत्थरों से जड़ित आभूषण" को 30.09.2016 को जारी स्वीकृति पत्र में शामिल किया गया था।

सुरेंद्र मलिक

I/51591/2023

3.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या उक्त लेनदेन एसईजेड अधिनियम/ की धारा 16 एसईजेड नियमों के नियम 77 के नियमों के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया के अनुसार किए गए थे और क्या जीडीपीएल को इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर प्राप्त छूट, लाभ, कटौती आदि को माफ करने की आवश्यकता थी।

3.5 अनुमोदन समिति ने पाया कि मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा की गई खरीद के मामले में नामांकित कानूनी फर्म से कानूनी राय मांगी गई थी। कानूनी फर्म ने अपनी राय इस प्रकार प्रदान की है:

(i) रॉयल एक्सपोर्ट्स: मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा चालान नंबर जीडीपीएल/2016/002 दिनांक 21.07.2016 के माध्यम से ग्लोबल डायमंड्स से हीरों की खरीद की तारीख पर, रॉयल एक्सपोर्ट के अधिकृत संचालन में हीरों की खरीद/आयात/निर्यात शामिल नहीं था। किसी इकाई द्वारा स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को मिलने वाले दंड और कार्रवाई की गणना एसईजेड अधिनियम की धारा 10 में की गई है।

(ii) ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड: ग्लोबल डायमंड्स द्वारा किए गए लेन-देन यदि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से खरीदे जाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, तो ग्लोबल डायमंड्स को प्राप्त निर्यात अधिकारों के बराबर अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा, ग्लोबल डायमंड्स द्वारा किए गए लेनदेन पर विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के तहत अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

3.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा की गई खरीद से संबंधित मामले पर निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को अधिकार दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि स्पष्ट मामले में कार्रवाई के विशिष्ट तरीके पर कानूनी राय फिर से मांगी जा सकती है।

(4) परटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण, अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना, निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री और प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक बार की अनुमति के लिए 15 दिनों का समय विस्तार।

4.1 श्री विशाल मोहन खुल्लर, निदेशक और श्री पी वी खुल्लर, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 16/08/2023 को आयोजित अपनी बैठक में मोबाइल फोन और डेटा केबल की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की अनुमति

सुरेंद्र मलिक



I/51591/2023

दी थी, जिसके लिए इकाई ने केवल श्री राजपाल सैनी से अग्रिम भुगतान लिया था। यह घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री लागू शुल्कों के भुगतान के आधार पर प्रभावी होगी, बशर्ते कि ऐसी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के खिलाफ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने विशेष रूप से केवल उपरोक्त घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए स्वीकृति पत्र की वैधता को 15/09/2023 तक बढ़ा दिया है।

4.2 श्री खुल्लर ने सूचित किया कि वे कोई भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) प्रवेश बिल दाखिल करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनकी एसईजोनलाइन सक्रिय नहीं थी और उनका बॉन्ड-कम-एल्यूटी भी 31.03.2023 को समाप्त हो गया है। उन्होंने स्वीकृति पत्र के साथ-साथ बॉन्ड-कम-एल्यूटी की वैधता को कुछ और समय के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि वे घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) के लिए बीओई दाखिल कर सकें और फिर अपनी इकाई से शिपमेंट निकाल सकें।

4.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को अभी भी निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:

- I. संशोधित फॉर्म-एफ1 में सभी प्रस्तावित उत्पादों के सही आईटीसी (एचएस) कोड का उल्लेख है।
- II. संशोधित एपीआर दिए गए हैं, हालांकि, इसे विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए, प्रत्येक पृष्ठ पर विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित संशोधित और सही वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) दिए जाने की आवश्यकता है।
- III. आरबीआई के परिपत्र के अनुसार लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए समय विस्तार के लिए एडी बैंक/आरबीआई की मंजूरी की प्रति।
- IV. निदेशक के रूप में श्री शौर्य शर्मा की नियुक्ति की डीआईआर-12 की प्रति।
- V. विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं के संबंध में आवश्यक कच्चे माल/पूँजीगत वस्तुओं की सूची दी जानी चाहिए।
- VI. परिवर्तनों के साथ शेयरधारिता पैटर्न का विवरण विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- VII. इकाई ने लैपटॉप का आईटीसी (एचएस) कोड 84719000 और कैबिनेट का कोड 84733099 बताया था, जबकि सीबीआईसी के अनुसार इसे अन्य के रूप में दिखाया गया है, जो लैपटॉप और कैबिनेट से असंबंधित लगता है, जिसे इकाई द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- VIII. वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि इकाई ने वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में बताए गए अनुसार लंबित विदेशी मुद्रा के अनुबंध संलग्न नहीं किए थे।

सुरेंद्र मलिक

I/51591/2023

- IX. यह देखा गया कि वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के प्रत्येक पृष्ठ को विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।
- X. भविष्य की व्यवसाय योजना।
- XI. बकाया लीज रेंट की निकासी की योजना।

4.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मोबाइल फोन और डेटा केबल की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति देने का निर्णय लिया, जिसके लिए इकाई ने केवल श्री राजपाल सैनी से अग्रिम भुगतान लिया है। यह घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री लागू शुल्कों के भुगतान के आधार पर की जाएगी, बशर्ते कि ऐसी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के खिलाफ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने केवल विशेष रूप से उपरोक्त घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए स्वीकृति पत्र के साथ-साथ बॉन्ड-कम-एल्यूटी की वैधता को 31/10/2023 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण, अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने, निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को उपरोक्त पैरा 4.3 में देखे गए दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

**(5) महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - अधिकृत संचालन में संशोधन।**

5.1 यह सूचित किया गया कि इकाई को अधिकृत संचालन अर्थात्: "(ए) विनिर्माण (1) तैयार हर्बल (30039011);" सौंदर्य प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री: (i) साबुन (34011110), (ii) दूधपेस्ट (33061020), (iii) शैम्पू और शावर जेल (33051090) और बालों का तेल (33059019) (1500M.टन/वर्ष); (2) तांबे के कप (74199990) (15000 पीसी/सालाना), सिल्वर टंग स्क्रैपर (चांदी की जीभ खुरचनी) (74199990) (50000 पीसी/साल), जंगरोधी इस्पात टंग स्क्रैपर (73269099) (50000 पीसी/साल), कैटलॉग (49111020) (20000 पीसी/साल), आयुर्वेद की युक्तियाँ पुस्तक (49011010) (10000 प्रति वर्ष), आयुर्वेद पर पुस्तकें (49011010) (5000 प्रति वर्ष), पेपर बैग (48191090) (30000 प्रति वर्ष), मुद्रित पत्रक (49011020) (20000 प्रति वर्ष); (बी) का व्यापार (i) मुद्रित लेबल (48211020); (ii) मुद्रित बक्से (48191010); (iii) ढक्कन/ढक्कन (39235010); (सी) खनिज पानी का व्यापार (22011010); (डी) (i) घरसन दस्ताने (सूती दस्ताने) (61169200) और (ii) पीतल के कटोरे (74181021)" का व्यापार करने के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया गया था।

5.2 यह सूचित किया गया कि इकाई ने "(2) कॉपर कप (74199990) (15000 पीसी/वर्ष), सिल्वर टंग स्क्रैपर (74199990) (50000 पीसी/वर्ष), स्टेनलेस स्टील टंग स्क्रैपर (73269099) (50000 प्रति वर्ष), कैटलॉग (49111020) (20000 प्रति वर्ष), आयुर्वेद पुस्तक के टिप्स (49011010) (10000 प्रति वर्ष), आयुर्वेद पर पुस्तकें (49011010) (5000 प्रति वर्ष), पेपर बैग ( 48191090) (30000 प्रति वर्ष), मुद्रित

सुरेंद्र मलिक



I/51591/2023

पत्रक (49011020) (20000 प्रति वर्ष)" के संबंध में विनिर्माण से व्यापार तक गतिविधि में बदलाव के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। समिति के ध्यान में यह भी लाया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क ने आपत्ति जताई थी कि उपरोक्त उत्पादों को "व्यापारिक सामान" की श्रेणी के तहत अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि इनका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, इकाई से (i) कॉपर कप के ITC (HS) कोड को 74198090 और (ii) सिल्वर टंग स्क्रैपर्स (चांदी की जीभ खुरचनी) को 74198020 के रूप में अद्यतन करने का भी अनुरोध किया गया था। यह बताया गया कि HS कोड यानी 74199990 वर्तमान नामकरण में मौजूद नहीं था।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, " तांबे के कप, सिल्वर टंग स्क्रैपर, (चांदी की जीभ खुरचनी) जंगरोधी इस्पात टंग स्क्रैपर कैटलॉग, आयुर्वेद युक्तियाँ पुस्तक, आयुर्वेद पर पुस्तक, पेपर बैग, मुद्रित पत्रक " के संबंध में गतिविधि को 'विनिर्माण' से 'ट्रेडिंग' में बदलने के लिए अधिकृत संचालन में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने अद्यतन आईटीसी (एचएस) कोड (i) तांबे के कप, 74198090 और (ii) सिल्वर टंग स्क्रैपर्स (चांदी की जीभ खुरचनी) 74198020 पर भी ध्यान दिया।

#### (6) इन्फिनिटी ग्लोबल - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

6.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अतिरिक्त अधिकृत संचालन "(1) नल, कॉक और लोहे या इस्पात के समान उपकरणों का विनिर्माण (84818010) (30000 संख्या/प्रति वर्ष); (2) भाग (अन्य) (84819090) (20000 संख्या/वर्ष); (3) सेनेटरी वेयर और पाटर्स (73249000) (10000 संख्या/प्रति वर्ष); (4) जिंक से बने सेनेटरी वेयर (79070010) (5000 नग/प्रति वर्ष); (5) पाटर्स (79070090) (10000 संख्या/वर्ष); (6) सेनेटरी वेयर और प्लास्टिक के हिस्से (39229000) (10000 संख्या/वर्ष); (7) प्लास्टिक की अन्य वस्तु (392490) (20000 संख्या/वर्ष)" को शामिल करने के लिए स्वीकृति पत्र में एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

6.2 श्री पंकज गुप्ता, प्रोपराइटर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए प्रस्ताव को समझाया।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं के लिए आवश्यक आयातित/स्वदेशी संयंत्र और मशीनरी/पूँजीगत वस्तुओं और कच्चे माल की सूची प्रस्तुत करने के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

#### 7) शिनपाक ओवरसीज एक्सपोर्टर्स - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और अनुमानों में संशोधन।

सुरेंद्र मलिक



I/51591/2023

7.1 यह सूचित किया गया था कि इकाई ने अतिरिक्त अधिकृत संचालन "(i) पुरुषों/लडकों की सूती शर्ट (62052090) (10000 पीसी/प्रति वर्ष); का विनिर्माण; (ii) सूती वस्त्र (62113200) (10000 पीसी/वर्ष); (iii) अन्य परिधान (62044390) (6000 पीसी/वर्ष); (iv) कॉटन गाउन (62079110) (6000 पीसी/वर्ष); (v) पुरुषों की बनियान (62072110) (8000 पीसी/प्रति वर्ष); (vi) पुरुषों की टोपी/कोट पॉलिएस्टर (62011390) (5000 पीसी/वर्ष); (vii) पुरुषों का कोट मिक्स फैब्रिक (62011990) (8000 पीसी/वर्ष); (viii) पुरुषों की टोपी/कोट कॉटन (62011290) (4000 पीसी/प्रति वर्ष); (ix) अन्य फैब्रिक कैप/टोपी (65040000) (4000 पीसी/वर्ष); (x) पुरुषों की शर्ट मिक्स फैब्रिक (62053000) (10000 पीसी/वर्ष); (xi) पुरुषों के पैंट/सैंश/ट्यूनिंग/मास्क (62113300) (10000 पीसी/वर्ष); (xii) पुरुषों का जैकेट मिक्स फैब्रिक (62033990) (6000 पीसी/वर्ष); (xiii) पैंट/सैंश/ट्यूनिंग/डबलट/केमिस (62114300) (6000 पीसी/वर्ष); (xiv) पुरुषों की कॉटन जैकेट (62044220)(8000 पीसी/प्रति वर्ष); (xv) लेडीज़ गाउन पॉलिएस्टर/मिक्स फैब्रिक (62089210) (7000 पीसी/वर्ष); (xvi) लेडीज़ शर्ट/ब्लाउज (62064000) (9000 पीसी/वर्ष); (xvii) हथकरघा के तकिये के डिब्बे और तकिये की पर्चियाँ (63049231) (5000 नग/प्रति वर्ष); (xviii) टोपी और हेडगियर (अन्य) (65050090) (5000 पीसी/वर्ष); (xix) महिलाओं की बनियान, स्लिप, पेटी कोट, पैंटी (अन्य) (62089990) (5000 पीसी/वर्ष)" को शामिल करने के लिए स्वीकृति पत्र में एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

7.2 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

7.3 अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित बातें देखीं:

- I. आईटीसी (एचएस) कोड 62011390, 62011990, 62011290, 62053000 और 62114300 नवीनतम नामकरण में मौजूद नहीं हैं।
- II. आईटीसी (एचएस) कोड 62072110 नवीनतम एचएस नामकरण के हिस्से के रूप में मौजूद है। हालाँकि उक्त एचएस कोड डीजीएफटी की वेबसाइट पर निर्यात आयात नीति के हिस्से के रूप में मौजूद नहीं है।
- III. 'पुरुषों के कॉटन जैकेट' के सामने दिया गया आईटीसी (एचएस) कोड 62044220 सही नहीं है क्योंकि यही बात सूती हैंडलूम की महिलाओं या लड़कियों की पोशाकों के लिए भी है। इसलिए, पुरुषों के सूती जैकेट का सही आईटीसी (एचएस) कोड दिया जाना आवश्यक है।
- IV. विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, आयातित और स्वदेशी संयंत्र और मशीनरी / पूंजीगत सामान और कच्चे माल की सूची नहीं दी गई है।
- V. अनुमानों के अवलोकन के आधार पर, यह देखा गया है कि कच्चे माल और घटकों के आयात के कुल मूल्य में एक गणना गलती है जिसे 11823.00 लाख रुपये के बजाय 11821.50 लाख रुपये दिखाया गया है जिसे ठीक करने पुनः जमा करने की आवश्यकता है।

सुरेंद्र मलिक

- VI. पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान नियम 53 (ए) के तहत की गई आपूर्ति का वर्ष-वार विवरण, जैसा कि इस कार्यालय के दिनांकित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। इकाई द्वारा दिनांक 14.07.2022 आज तक नहीं दी गयी है।

(रुपये लाख में)

	मौजूदा	संशोधित
निर्यात का एफओबी मूल्य	16600.00	16650.00
विदेशी मुद्रा आउटगो	11786.00	11823.00
निवल विदेशी मुद्रा (NFE) कमाई	4814.00	4828.00
आयातित पूंजीगत सामान	0.00	0.00
स्वदेशी पूंजीगत वस्तुएँ	0.00	0.00
आयातित कच्चा माल	11786.00	11823.00
स्वदेशी कच्चा माल	664.00	689.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ	0.00	0.00
आयातित कच्चा माल	0.00	0.00
रोज़गार	23	40

#### (8) विंटेज लिनन - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

8.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों (i) स्कार्फ/स्कार्फ और स्टोल (6214) का विनिर्माण; (ii) परेओ (6211); और (iii) कोस्टर्स (6911)" को शामिल करने के लिए स्वीकृति पत्र में एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

8.2 इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

8.3 अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) इकाई ने प्रत्येक प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं के लिए आवश्यक विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, उत्पादन क्षमता, कच्चे माल/पूंजीगत वस्तुओं की सूची आदि प्रस्तुत नहीं की हैं। अतः वही देने की आवश्यकता है।

(ii) इकाई को 8 अंकीय एचएस कोड भी प्रस्तुत करना होगा। दिए गए एचएस कोड 6211 और 6911 के अनुसार 'पेरियो' और 'कोस्टर' क्रमशः बहुत विशाल हैं और इसमें क्रमशः पुरुषों या लड़कों के परिधान और शौचालय के सामान/पानी फिल्टर आदि भी शामिल हैं।

8.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन "(i) स्कार्फ/स्कार्फ और स्टोल (6214) का विनिर्माण; (ii) परेओ (6211); और

सुरेंद्र मलिक



I/51591/2023

(iii) स्वीकृति पत्र में कोस्टर (6911) को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो ऊपर पैरा 8.3 में उल्लिखित जानकारी प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

**(9) दीपक केयर लिमिटेड -स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत परिचालन का समावेश।**

9.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धूप सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि उन्हें उत्पाद यानी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण (90191090) के लिए डब्ल्यूएचओ से एक तत्काल आदेश मिला है।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त ट्रेडिंग आइटम अर्थात मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण (एचएस 90191090) को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**(10) इंडो डैन लैपशेड्स प्राइवेट लिमिटेड - अनुमानों में संशोधन।**

10.1 बैठक में कोई भी शामिल नहीं हुआ. अनुमोदन समिति ने चर्चा किए गए कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुमानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

(रुपये लाख में)

	मौजूदा	संशोधित
निर्यात का एफओबी मूल्य	9625.00	<b>3775.00</b>
विदेशी मुद्रा आउटगो	650.00	650.00
निवल विदेशी मुद्रा (NFE) कमाई	8975.00	<b>3125.00</b>
आयातित पूंजीगत सामान	50.00	50.00
स्वदेशी पूंजीगत वस्तुएँ	100.00	100.00
आयातित कच्चा माल	100.00	100.00
स्वदेशी कच्चा माल	2460.00	2460.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ	500.00	500.00
आयातित कच्चा माल	250.00	250.00

**(11) पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड - निदेशक में बदलाव।**

11.1 इकाई से कोई भी बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

सुरेंद्र मलिक

I/51591/2023

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में इकाई 07/09/2023 के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया, जो कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित निदेशकों में परिवर्तन के बाद प्रस्तुत करने के अधीन था।:

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री बलराम गर्ग 2. श्रीमती. रश्मी आनंद 3. श्री चन्द्र प्रकाश	1. श्रीमती. रश्मी आनंद 2. श्री चन्द्र प्रकाश

**(12) शास इनफार्मेशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज - एसईजेड के नियम 74ए के तहत एसडीएफ सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रदर्शन की निगरानी और अंतिम अनुमोदन।**

12.1 यह सूचित किया गया था कि इकाई ने अपने पत्र दिनांक 24/03/2023 के माध्यम से एसडीएफ संख्या के-10, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में मेसर्स एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को संपत्ति और देनदारियों से बाहर निकलने और हस्तांतरण के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, अनुमोदन समिति ने अपनी बैठक में 03/05/2023 को उपरोक्त प्रस्ताव (i) मेसर्स शास इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करना; (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान और (iii) हस्तांतरणकर्ता की संपत्ति और देनदारियों को संभालने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा एक उपक्रम प्रस्तुत करना पर विचार किया गया था और सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 25/09/2023 के माध्यम से निकास उद्देश्यों के लिए दस्तावेज/एनओसी प्रस्तुत किए हैं जिनकी अलग से जांच की जा रही है।

12.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा आउटगो	एनएफई कमाई	डीटीए बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा
<b>प्रथम खंड (2012-13 से 2016-17)</b>					
2012-13	369.47	1.09	368.38	0.00	0.00
2013-14	435.33	11.42	423.91	0.00	0.00
2014-15	462.24	2.05	460.19	0.00	0.00
2015-16	377.62	0.22	377.40	0.00	0.00

सुरेंद्र मलिक



2016-17	690.24	0.00	690.24	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>2334.90</b>	<b>14.78</b>	<b>2320.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>दूसरा ब्लॉक (2017-18 से 2021-22)</b>					
2017-18	387.79	0.00	387.79	0.00	0.00
2018-19	386.37	0.00	386.37	0.00	0.00
2019-20	338.75	0.00	338.75	0.00	0.00
2020-21	200.46	0.00	200.46	0.00	0.00
2021-22	69.46	0.00	69.53	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>1382.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1382.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>वर्तमान ब्लॉक (2022-23 से 2023-24)</b>					
<b>2022-23</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2023-21 (01.04.2023 से 30.06.2023)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.3 अनुमोदन समिति ने ब्लॉक अवधि के लिए यानी (i) पहला ब्लॉक (2012-13 से 2016-17); (ii) दूसरा ब्लॉक (2017-18 से 2021-22) और (iii) तीसरा ब्लॉक (2022-23 से 2023-24 (30.06.2023 तक)) उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) और सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 30/06/2023 तक कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

12.4 समिति ने एसईजेड नियमों 2006 के नियम 74ए के तहत एसडीएफ नंबर के-10, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से मेसर्स एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स शास इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज को अंतिम मंजूरी देने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को फ़ाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

**(13) कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड - दो स्वीकृति पत्र का विलय।**

13.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधानों के अनुसार नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में अपने दो मौजूदा स्वीकृति पत्र के विलय के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। इकाइयों और उसके अनुरोध का विवरण इस प्रकार है:

सुरेंद्र मलिक

विवरण	इकाई-I			इकाई-III		
स्वीकृति पत्र संख्या	03/02/2006-Proj/5709			05/01/2017-Proj/1927		
स्वीकृति पत्र डीसीपी स्वीकृति पत्र की तिथि तक मान्य	17/02/2006 19/06/2008 18/06/2028			15/02/2017 20/11/2018 19/11/2023		
अधिकृत संचालन	आईटी/आईटीईएस (सीपीसी: 842) विकास			सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का विकास।		
कारखाना का पता	प्लॉट नंबर 139, 140, 142-ईएंडएफ, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)			एसडीएफ नंबर 134 और 135, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)		
पिछले पांच वर्षों के दौरान इकाइयों का वर्षवार प्रदर्शन	(रुपये लाख में)			(रुपये लाख में)		
	वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई कमाई	वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई कमाई
	2018-19(19.06.2018-31.03.19)	18516.28	18019.83	2018-19	3349.66	3280.61
	2019-20	24040.67	23510.47	2019-20	2649.97	5606.08
	2020-21	26350.16	2524.17	2020-21	3564.98	3508.50
	2021-22	33243.89	32709.54	2021-22	12536.94	12493.04
	<b>कुल</b>	<b>102331.00</b>	<b>99964.04</b>	<b>कुल</b>	<b>25101.55</b>	<b>24888.23</b>
एनएसडीएल डेटा के अनुसार, इकाई ने 2022-23 के दौरान 58359.41 लाख रुपये का निर्यात (सॉफ्टवेक्स) किया है।			एनएसडीएल डेटा के अनुसार, इकाई ने 2022-23 के दौरान 17826.70 लाख रुपये का निर्यात (सॉफ्टवेक्स) किया है।			

13.2 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री चंद्रपाल सिंह बिष्ट अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग खातों और रिकॉर्ड रखने वाली दो अलग-अलग इकाइयों को बनाए रखने के बजाय केवल एक इकाई के तहत अपने संचालन को समेकित करना है, ताकि अनुपालन, संचालन, प्रशासन आदि को समान टीम प्रभावी ढंग से संभाल सके।

13.3 अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई ने प्रस्तावित विलय के बाद अपने अधिकृत संचालन और अनुमानों में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए हैं:

*सुरेंद्र मलिक*



विवरण	विलय के बाद पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित विवरण (मूल्य लाख रुपये में)
अधिकृत संचालन निर्यात 418423.11	आईटी/आईटीईएस
विदेशी मुद्रा आउटगो	6963.73
निवल विदेशी मुद्रा (NFE) की कमाई	411459.38
आयातित पूंजीगत सामान	6272.55
स्वदेशी पूंजीगत सामान	3652.19
आयातित इनपुट सेवाएँ	691.17
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ	75000.00
रोजगार	पुरुष - 4822 महिला - 3002

13.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई-III (स्वीकृति पत्र संख्या 05/01/2017-प्रोज/1927 दिनांक 15/02/2017) एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के संदर्भ में इकाई- I (स्वीकृति पत्र संख्या 03/02/2006-प्रोज/5709 दिनांक 17/02/2006) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन के विलय के लिए मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:

(i) विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि उस इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से यानी स्वीकृति पत्र संख्या 03/02/2006-प्रोजेक्ट/5709 दिनांक 17/02/2006 (इकाई-I) होगी जिसने सबसे पहले परिचालन शुरू किया था।

(ii) इस विलयित इकाई से होने वाली आय के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10ए के तहत कोई आयकर छूट उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि पहली इकाई के लिए आयकर छूट की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

13.5 अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तावित विलय के बाद अधिकृत संचालन और अनुमानों में संशोधन पर भी ध्यान दिया।

सुरेंद्र मलिक

वर्ष	विवरण	एसबी के अनुसार यूएसडी में एफओबी मूल्य	कोर बीओई, प्रयुक्त मिश्र धातु, पत्थर आदि के अनुसार वास्तविक आधार पर इनपुट लागत का कुल मूल्य (यूएसडी में)	एसबी पर इकाई की घोषणा अनुसार मूल्यवर्धन (%)	संबंधित बीओई, प्रयुक्त मिश्र धातु, पत्थरों आदि के (%) आधार पर वास्तविक इनपुट लागत के अनुसार मूल्यवर्धन।
2017-18	सादा	6369749.02	6027994.517	3.60	5.97
	जड़ित	83587	79092.21132	6.00	5.68
2018-19	सादा	4415607.57	4351331.906	4.14	1.48
	जड़ित	594130.98	591296.4403	6.00	0.48
	मरम्मत किया हुआ यहूदी.	76356.223	75871.492	3.60	0.64
2019-20	सादा	3688450.87	3599858.322	3.50	2.46
	जड़ित	498886	479581.79	6.00	4.03
	मरम्मत किया हुआ यहूदी	401588.542	401145.573	0.00	0.11
2020-21	सादा	576580.39	489811.5131	3.50	17.71
	जड़ित	52279	40448.490	6.00	29.25
2020-21	सादा	2633095.654	2473552.3	3.50	6.45
	जड़ित	63615	42896.26452	4.92	48.30
	मरम्मत किया हुआ यहूदी	136031.363	139239.0359	0.00	-2.30

14.2 अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) सादे सोने के आभूषणों के संबंध में, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान इकाई ने 3.5% का निर्धारित मूल्यवर्धन हासिल नहीं किया है।

सुरेंद्र मलिक



12/01/2019-Proj

I/51591/2023

(ii) जड़ित सोने के आभूषणों के संबंध में, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान इकाई ने 6% का निर्धारित मूल्यवर्धन हासिल नहीं किया है।

(iii) इकाई ने मरम्मत किए गए आभूषणों के संबंध में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2021-22 के दौरान निर्धारित मूल्यवर्धन हासिल नहीं किया है।

14.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 31/03/2024 तक की अवधि के लिए स्वीकृति पत्र की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) कार्यालय को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 80 के संदर्भ में मूल्य संवर्धन उपलब्धि में कमी पर निर्णय लेने और फ़ाइल पर वर्तमान ब्लॉक अवधि की शेष अवधि के लिए स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। इस संदर्भ में, मूल्यवर्धन में कमी की गणना की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त

